

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 74 /2026/2224/77-6-2026-01(Operational Flixibility)/2026
लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल " उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीतियों के अंतर्गत भूमि आवंटियों हेतु परिचालन लचीलेपन (Operational Flexibility) में वृद्धि किये जाने के संबंध में नीति" को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीतियों के अंतर्गत भूमि आवंटियों हेतु परिचालन लचीलेपन (Operational Flexibility) में वृद्धि किये जाने के संबंध में नीति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।


(आलोक कुमार) 12.10.26
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-74 /2026/2224 (1)/77-6-2026-01(Operational Flixibility)/2026. तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।


(मानिक चन्द्र)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीतियों के अंतर्गत भूमि आवंटियों हेतु परिचालन लचीलेपन (Operational Flexibility) में वृद्धि किये जाने के संबंध में नीति।

1. कार्यकारी सारांश

यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विभिन्न निवेश प्रोत्साहन ढाँचों के अंतर्गत आवंटित उसी भू-खण्ड से, नियंत्रित एवं अनुमति-आधारित तंत्र के माध्यम से, पात्र "संबद्ध संस्थाओं" (Related Entities)—यथा संयुक्त उद्यम (Joint Venture), पूर्ण स्वामित्व/बहुमत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (Subsidiaries) अथवा अन्य सहायक/समूह इकाइयाँ—द्वारा औद्योगिक परिचालन करने की अनुमति प्रदान किए जाने से सम्बन्धित है, बशर्ते कि मूल आवंटी (मूल/पैरेंट कंपनी) की उक्त इकाई में न्यूनतम 51% हिस्सेदारी/स्वामित्व तथा प्रबंधकीय नियंत्रण हो: (i) यूपी एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 तथा फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियाँ निवेश प्रोत्साहन नीति, 2023; तथा (ii) यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 (यथालागू)।

प्रस्ताव का उद्देश्य भूमि के समुचित उपयोग को अनुकूल बनाना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाना तथा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करना है, साथ ही पट्टा विलेख (Lease Deed) की शर्तों, पर्यावरणीय मानकों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पट्टा विलेखों में सामान्यतः उप-पट्टा/उप-भोग/उप-भाड़ा (Sub-leasing/Sub-letting) पर प्रतिबंध है। अतः प्रस्ताव के अंतर्गत एक मानकीकृत "पट्टा परिशिष्ट/अनुमति" (Lease Addendum/Permission) ढाँचा, स्पष्ट शर्तों, दायित्वों तथा एकरूप शुल्क/भाड़ा (Fee/Rent) व्यवस्था सहित लागू किए जाने का प्रावधान है।

2. पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

2.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक पारितंत्र को सुदृढ़ करने, निवेश परिवेश में सुधार लाने तथा बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी निवेश को सक्षम बनाने हेतु अनेक पहलें की हैं। उपर्युक्त निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ एंकर निवेशकों को आकर्षित करने तथा औद्योगिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन को गति देने हेतु लागू की गई हैं।

2.2 प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के दौरान एक आवर्ती परिचालन चुनौती सामने आई है: बड़े निवेश प्रायः अनेक संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं (उदाहरणार्थ—परिचालन करने वाली सहायक कंपनी, किसी चरण/खंड हेतु विशेष प्रयोजन वाहन

(SPV), प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम, अथवा डाउनस्ट्रीम वैल्यू-एडेड इकाई)। विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित वर्तमान पट्टा विलेख सामान्यतः मूल आवंटी को विशेष/अनन्य अधिकार प्रदान करते हैं तथा उप-पट्टा/उप-भोग/हस्तांतरण (Sub-leasing/Sub-letting/Assignment) पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे समान प्रवर्तक समूह के भीतर भी परिचालन संरचना सीमित हो जाती है।

2.3 उद्योगों द्वारा अनुरोध किया गया है कि नीति-समर्थित ऐसा मार्ग उपलब्ध कराया जाए, जिसके अंतर्गत मूल आवंटी के बहुमत स्वामित्व/नियंत्रण में आने वाली संबद्ध संस्थाओं को, नवीन भूमि आवंटन की आवश्यकता के बिना अथवा लंबी पट्टा हस्तांतरण प्रक्रियाओं के बिना, उसी आवंटित भूमि से परिचालन करने की अनुमति मिल सके।

3. प्रस्ताव

उपर्युक्त निवेश प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत आवंटित भूमि पर निम्न प्रमुख तत्वों सहित एक सक्षमकारी प्रावधान तथा एकरूप परिचालन अनुमति ढाँचा लागू किए जाने का प्रस्ताव है:

3.1 पात्रता (Eligibility):

(क) मूल आवंटी (पैरेंट कंपनी) भूमि का प्राथमिक पट्टाधारी/आवंटी बना रहेगा।

(ख) उसी आवंटित भूमि से निम्नलिखित किसी भी (संबद्ध) इकाई को परिचालन हेतु अनुमति दी जा सकेगी :

ऐसी इकाई, जिसमें मूल आवंटी/पैरेंट की न्यूनतम 51% या उससे अधिक इक्विटी हिस्सेदारी हो, चाहे वह विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), संयुक्त उद्यम (JV), सहायक कंपनी (Subsidiary), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary), उप-पट्टाधिकार प्राप्त करने हेतु पात्र होगी। ऐसी इकाई का प्रबंधकीय नियंत्रण भी मूल आवंटी/पैरेंट के पास होना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत उप-पट्टा (Sublease) केवल अनुमोदित औद्योगिक एवं संबंधित आर्थिक गतिविधियों हेतु ही अनुमन्य होगा, इसमें मुख्यतः-

विनिर्माण गतिविधियां (Manufacturing Activities), जिनमें नवीन इकाई की स्थापना (New Unit), क्षमता विस्तार (Expansion) तथा विविधीकरण (Diversification) सम्मिलित होंगे;

सहायक एवं संबद्ध सेवाएं (Allied Services), जो विनिर्माण अथवा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन प्रदान करती हैं; तथा

उक्त सभी गतिविधियां संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/एजेंसी के भूमि उपयोग (Land Use) मानकों, लागू औद्योगिक नीतियों, भवन उपविधियों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप अनुमन्य होंगी।

परंतु यह आवश्यक होगा कि मूल आवंटी/पैरेंट इकाई तथा उसकी ऐसी संयुक्त उद्यम (JV), विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), सहायक कंपनी (Subsidiary), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) अथवा अन्य समूह इकाई, जिसमें मूल आवंटी/पैरेंट की न्यूनतम 51 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी हिस्सेदारी हो, द्वारा प्रस्तावित समस्त गतिविधियों हेतु संचयी (Cumulative) न्यूनतम निवेश ₹200 करोड़ अथवा उससे अधिक हो। विशेष परिस्थितियों में यह शर्त शासन से अनुमोदन के उपरान्त से शिथिल किया जा सकेगा।

मूल आवंटी/पैरेंट द्वारा अपनी ऐसी पात्र संबद्ध इकाइयों के माध्यम से प्रस्तावित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का उल्लेख भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में प्रारम्भिक स्तर (Ex-Ante) पर किया जाना अनिवार्य होगा। मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित गतिविधियों हेतु पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा उप-पट्टा विलेख (Sub-Lease Deed) संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/एजेंसी, मूल आवंटी एवं उप-पट्टाधारी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartite Agreement) के रूप में निष्पादित किया जाएगा। तथापि, यदि भूमि आवंटन के उपरांत कोई नई गतिविधि अथवा पात्र संबद्ध इकाई के माध्यम से अतिरिक्त गतिविधि संचालित किए जाने का प्रस्ताव हो, तो उसके लिए सक्षम स्तर अर्थात् औद्योगिक विकास विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

(अनुलग्नक:1 परिभाषाएं)

3.2 अनुमति का स्वरूप (Nature of Permission):

- संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मानकीकृत प्रक्रिया (आवेदन, यथोचित जाँच/इयू डिलिजेंस एवं स्वीकृति) के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाएगी।
- यह अनुमति किसी संबद्ध इकाई को सह-स्थान (Co-location)/परिचालन करने में सक्षम करेगी; तथापि यह आवंटन का हस्तांतरण, पट्टाधिकारों का असाइनमेंट, अथवा स्वीकृत संबद्ध इकाई से परे किसी तृतीय पक्ष अधिकार का सृजन नहीं मानी जाएगी।

3.3 संरक्षण उपाय एवं शर्तें (Safeguards and Conditions):

- a) केवल औद्योगिक प्रयोजन; अनुमत मानकों से परे कोई वाणिज्यिक/आवासीय उपयोग वर्जित रहेगा।
- b) पैंट आवंटी, संबद्ध इकाई के साथ, सभी दायित्वों—पट्टा किराया, देयकों, अनुपालन तथा किसी भी उल्लंघन—के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी रहेगा।
- c) संबद्ध इकाई के पक्ष में कोई भार (Encumbrance) या बंधक (Mortgage) सृजित नहीं होगा; वित्तपोषण व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों, वर्तमान औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमों के अधीन होंगी।
- d) पर्यावरण, सुरक्षा, अग्निशमन, श्रम तथा अन्य वैधानिक अनुमोदनों का अनिवार्य अनुपालन; जहाँ विधि अनुसार आवश्यक हो, वहाँ सहमति/अनुमतियाँ परिचालन करने वाली इकाई के नाम से प्राप्त की जाएँगी।
- e) कच्ची भूमि के सट्टात्मक धारण को रोकने हेतु, जहाँ संभव हो, अनुमति को निर्मित/परिचालन क्षेत्र (Built-up/Operational Area) तक सीमित किया जा सकेगा।
- f) शर्तों के उल्लंघन, स्वामित्व 51% से कम होने, अथवा पैंट के पट्टे की समाप्ति की स्थिति में उप पट्टे की अनुमति निरस्त/वापस ले ली जाएगी।

3.4 मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण (Standardized Documentation):

उपर्युक्त शर्तों तथा एकरूप शुल्क/भाड़ा व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अपनाए जाने हेतु "परिचालन अनुमति/सह-स्थान परिशिष्ट" (Operating Permission/Co-location Addendum) का मॉडल जारी किया जाएगा।

4. तर्क/औचित्य (Rationale)

4.1 भूमि उपयोग का अनुकूलन: पात्र संबद्ध इकाइयों को पहले से आवंटित भूमि से परिचालन की अनुमति देने से सीमित औद्योगिक भूमि का अधिकतम उपयोग होगा तथा अतिरिक्त अधिग्रहण/आवंटन की मांग घटेगी।

4.2 परियोजना क्रियान्वयन में तीव्रता: बड़े प्रोजेक्ट प्रायः चरणबद्ध तथा विशेषीकृत संस्थाओं के माध्यम से निष्पादित होते हैं। सह-स्थान की अनुमति से नवीन आवंटन या संरचना परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियात्मक देरी कम होगी और शीघ्र कमीशनिंग संभव होगी।

4.3 रोजगार एवं उत्पादन: शीघ्र कमीशनिंग तथा निर्बाध विस्तार से रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन एवं राज्य के लिए आर्थिक लाभों की प्राप्ति तेज होगी।

4.4 निवेशक विश्वास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता: स्पष्ट, नीति-समर्थित तंत्र राज्य की निवेशक-हितैषी छवि को मजबूत करेगा तथा उन अन्य औद्योगिक राज्यों के समक्ष उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा जहाँ नियंत्रित अनुमति व्यवस्था के अंतर्गत उप-पट्टा/लीजिंग/रेंटिंग की अनुमति है।

4.5 अनुपालन एवं जवाबदेही: बहुमत स्वामित्व/नियंत्रण ($\geq 51\%$) की शर्त तथा पैरेंट की उत्तरदायित्व-धारणा से जवाबदेही बनी रहेगी और नियामक अनुपालन एकरूप रूप से सुनिश्चित होगा।

5. उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्थिति एवं विचारार्थ मुद्दे

5.1 पट्टा विलेख में प्रतिबंध: औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख सामान्यतः उप-पट्टा/उप-भोग/हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं। वर्तमान शर्तों के तहत मूल आवंटी के पास अनेक अधिकार रहते हैं तथा वह समान कॉर्पोरेट समूह के भीतर भी किसी अन्य इकाई को कब्जा/परिचालन की अनुमति नहीं दे सकता।

5.2 विधिक अनुपालन: अतः, संबद्ध इकाइयों तक परिचालन विस्तार हेतु एक संरचित अनुमति तंत्र एवं पट्टा परिशिष्ट आवश्यक है, जिससे पट्टा शर्तों के उल्लंघन से बचा जा सके।

5.3 शुल्क/भाड़ा व्यवस्था: यदि सह-स्थान/उप-भोग जैसी व्यवस्था अनुमति की जाती है, तो शुल्क निर्धारण, आवधिक संशोधन/वृद्धि, तथा साझा अवसंरचना/उपयोगिताओं (Utilities) के उपचार हेतु एकरूप दृष्टिकोण आवश्यक है। स्पष्ट नियमों के अभाव में अस्पष्टता एवं विवाद की संभावना रहती है।

6. उप-लीज नीति

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों (JVs) को उप-लीज (Sub-lease) के संबंध में नीति

एकरूपता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण के साथ-साथ औद्योगिक निवेश, समूह-आधारित व्यवसाय संरचनाओं और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

यह प्रस्ताव किया जाता है कि:

जहाँ आवंटी अपनी भूमि/परिसर को अपनी ही पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (Wholly Owned Subsidiaries), संयुक्त उपक्रमों (Joint Ventures) या समूह की अन्य संबद्ध इकाइयों को उप-लीज (Sub-lease) पर देता है, वहाँ निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जा सकती है:

प्रावधान

लीज कन्सिडरेशन (Lease Consideration) के संबंध में प्रावधान:

उप-पट्टा व्यवस्था के लिए निष्पादित की जाने वाली उप-पट्टा विलेख (Sub-Lease Deed) एक त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartite Agreement) होगी, जिसके पक्षकार संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/एजेंसी, मूल आवंटी (Parent Allottee) एवं उप-पट्टाधारी (Sub-Lessee) होंगे। उक्त त्रिपक्षीय अनुबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकार, दायित्व, राजस्व देयताएं एवं अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन मूल आवंटी को किया जाएगा। मूल आवंटी तथा संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त उपक्रम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी/ सब्सिडरी (51प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी) को उप-पट्टा (Sub-Lease) की तिथि को संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रचलित आवंटन दर पर किया जायेगा। उप-पट्टा धारक से प्राप्त धनराशि को मूल आवंटी एवं संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार वितरित किया जायेगा। मूल आवंटी को उसे प्राधिकरण द्वारा आवंटित दर के समतुल्य धनराशि देय होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भूमि हस्तांतरण का प्रीमियम (NO Profit/NO Loss) के आधार पर प्राप्त हो तथा शेष प्रीमियम की धनराशि व अन्य सुसंगत देय औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय होगा।

विकल्पों के लिए सामान्य शर्तें (Common Conditions):

- i. अनुमति प्रदान करने से पूर्व सभी लंबित देयकों का निपटान अनिवार्य होगा।
- ii. अनुमति भूमि उपयोग, भवन मानचित्र अनुमोदन एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन होगी।

iii. सट्टात्मक हस्तांतरण निषिद्ध: स्वीकृत परियोजना प्रगति के बिना रिक्त भूमि हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी; अपवाद स्वरूप, चरणबद्ध क्रियान्वयन योजना सहित एकीकृत परियोजनाओं के मामले में विचार किया जा सकेगा।

iv. उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त की जाएगी तथा पट्टा विलेख के अंतर्गत कार्रवाई (जहाँ लागू हो, पुनःग्रहण/Resumption सहित) की जाएगी।

7. तुलनात्मक स्थिति

कई औद्योगिक राज्य नियंत्रित स्वीकृति अथवा सूचना तंत्र के माध्यम से उप-पट्टा/लीजिंग/रेंटिंग की अनुमति देते हैं, जो प्रायः औद्योगिक प्रयोजन तक सीमित होती है तथा अनेक मामलों में निर्मित क्षेत्र के किराये/लीज पर केंद्रित होती है। विभिन्न राज्यों में नियंत्रित उप-पट्टा/लीजिंग प्राविधानों पर संक्षिप्त दृष्टांतत्मक सारांश अनुलग्नक-2 पर दृश्य है।

8. वित्तीय प्रभाव

8.1 इस प्रस्ताव से राज्य पर कोई अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

8.2 अधिसूचित शुल्क/भाड़ा व्यवस्था से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए पारदर्शी राजस्व धारा उपलब्ध होगी तथा अनियमित उप-भोग से होने वाली सार्वजनिक मूल्य-हानि रोकी जा सकेगी।

8.3 अप्रत्यक्ष लाभों में निवेश का त्वरित निष्पादन, शीघ्र उत्पादन, रोजगार सृजन, तथा औद्योगिक गतिविधि से संबंधित कर/जीएसटी/शुल्क प्राप्ति में वृद्धि शामिल है।

9. संरक्षण उपाय एवं शर्तें (Safeguards and Conditions):

9.1 केवल औद्योगिक प्रयोजन; अनुमत मानकों से परे कोई वाणिज्यिक/आवासीय उपयोग वर्जित रहेगा।

9.2 पैरेंट आवंटी, संबद्ध इकाई के साथ, सभी दायित्वों—पट्टा किराया, देयकों, अनुपालन तथा किसी भी उल्लंघन—के लिए संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी रहेगा।

9.3 संबद्ध इकाई के पक्ष में कोई भार (Encumbrance) या बंधक (Mortgage) सृजित नहीं होगा; वित्तपोषण व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों, वर्तमान IDA नियमों के अधीन होंगी।

9.4 पर्यावरण, सुरक्षा, अग्निशमन, श्रम तथा अन्य वैधानिक अनुमोदनों का अनिवार्य अनुपालन; जहाँ विधि अनुसार आवश्यक हो, वहाँ सहमति/अनुमतियाँ परिचालन करने वाली इकाई के नाम से प्राप्त की जाएँगी।

9.5 कच्ची भूमि के सट्टात्मक धारण को रोकने हेतु, जहाँ संभव हो, अनुमति को निर्मित/परिचालन क्षेत्र (Built-up/Operational Area) तक सीमित किया जा सकेगा।

9.6 शर्तों के उल्लंघन, स्वामित्व 51% से कम होने, अथवा पैरेंट के पट्टे की समाप्ति की स्थिति में अनुमति निरस्त/वापस ली जा सकेगी।

9.7 नीतिगत प्रोत्साहन उस इकाई को देय होंगे जिसने संबंधित नीति के अंतर्गत निवेश किया है, स्वीकृति/LOC/EC प्राप्त की है तथा निर्धारित पात्रता शर्तें पूर्ण की हैं। केवल परिचालन अनुमति, सह-स्थान अथवा उप-पट्टा प्राप्त होने से दूसरी/सहायक/संयुक्त उद्यम इकाई को मूल आवंटी के प्रोत्साहनों पर स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि ऐसी इकाई स्वतंत्र रूप से किसी नीति के अंतर्गत पात्र है, तो उसका दावा पृथक आवेदन एवं मूल्यांकन के आधार पर विचारित होगा। साझा परिसंपत्तियों अथवा एक ही व्यय मद पर दोहरे प्रोत्साहन की अनुमति नहीं होगी। निगरानी हेतु मूल आवंटी/परिचालक से वार्षिक स्व-प्रमाणन, इकाईवार निवेश-रोजगार विवरण, GST/कारखाना पंजीकरण अथवा अन्य लागू अभिलेख (Cin, Pan, IEM, IEC, MOA, AOA, JV Agreement) आदि का आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाएगा।

9.8 उप-पट्टा व्यवस्था पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग के प्रचलित प्रावधान एवं नियम यथावत लागू होंगे।

9.9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियमों/अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



.....


अनुलग्नक-1: परिभाषाएँ

1. "पैरेंट आवंटी" से तात्पर्य उस इकाई से है जिसके नाम पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आवंटन/पट्टा विलेख निष्पादित किया है तथा जो प्रधान पट्टाधारी बनी रहती है।
2. "संबद्ध इकाई" से तात्पर्य ऐसी संयुक्त उपक्रम/सहायक/समूह इकाई से है जिसमें पैरेंट आवंटी की न्यूनतम 51% इक्विटी हिस्सेदारी हो तथा प्रबंधकीय नियंत्रण भी पैरेंट आवंटी के पास हो।
3. "परिचालन अनुमति" से तात्पर्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त उस अनुमति से है जिसके अंतर्गत, बिना पट्टाधिकारों के हस्तांतरण/असाइनमेंट के, संबद्ध इकाई को उसी आवंटित भूमि से स्वीकृत औद्योगिक परिचालन करने की अनुमति दी जाती है।
4. "औद्योगिक प्रयोजन" से तात्पर्य लागू भूमि उपयोग/जोनिंग तथा अधिसूचित औद्योगिक नीति/IDA विनियमों तथा अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों से है।

अनुलग्नक-2: चयनित राज्यों में नियंत्रित उप-पट्टा/लीजिंग प्रावधानों का दृष्टांतमक तुलनात्मक सारांश

राज्य	औद्योगिक भूमि आवंटन एजेंसी	स्पष्ट सक्षमकारी प्रावधान?	क्या अनुमत है	स्वीकृति/सूचना	मुख्य शर्तें/सीमाएँ	शुल्क/भाड़ा व्यवस्था (दृष्टांतमक)
राजस्थान	RIICO	हाँ	औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक भू-खण्ड/निर्मित परिसर का उप-भोग/उप-पट्टा	एजेंसी परिपत्र/नियमों के अनुसार सूचना/अनुमति तंत्र	औद्योगिक प्रयोजन; देयकों के भुगतान से संबद्ध; नियमों के अंतर्गत नियंत्रित	विलंबित सूचना/अनुमति पर प्रतिधारण शुल्क/दंड लागू हो सकता है
हरियाणा	HSVP/HSID C औद्योगिक क्षेत्र	हाँ	औद्योगिक भू-खण्ड पर भवन के शेष भाग का लीज/किराया (निर्माण एवं उत्पादन पश्चात)	विकास/आवंटन एजेंसी की अनुमति अनिवार्य	न्यूनतम निर्माण/उत्पादन मानक; प्रति भू-खण्ड सीमित इकाइयाँ	अवधि के आधार पर हस्तांतरण शुल्क से संबद्ध शुल्क
कर्नाटक	KSSIDC	हाँ	आवंटन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उप-	दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति	अनुपालन पर्यवेक्षण सहित नियंत्रित	दिशानिर्देशों में शुल्क/प्रक्रिया निर्दिष्ट

			पट्टा/उप- भोग का विनियमन	(नियम- आधारित)	अनुमतियाँ	
आंध्र प्रदेश	APIIC	हाँ	आवंटन विनियमों के अंतर्गत परिसर के उप-भोग हेतु अनुमति	अनुमति- आधारित व्यवस्था	विनियमों के अंतर्गत शर्तों सहित नियंत्रित तंत्र	विनियमों में शुल्क/प्रक्रि या निर्दिष्ट

[Signature]

[Signature]